न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर फूलियाकलां जिला भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारी– श्री के0आर0 जोड़ आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 –	तारीख दायर	तारीख फैसला
03/2017/प्रार्थना पत्र	13.01.2017	06.04.2017

उनवान

1– प्रहलाद पिता खाना ब्राम्हण निवासी पनोतिया त0 फूलियाकलां
2–5 दिनेश,अजय,प्रकाश,मु0चन्दा, जानकी पिता घनश्याम ब्राम्हण नि0 पनोतिया
6– मु0 सुशीला बेवा घनश्याम ब्राम्हण निवासी पनोतिया तह0 फूलियाकलां
7– महावीर पिता लालू ब्राम्हण निवासी पनोतिया तह0 फूलियाकलां
8– कल्याण पिता भूरालाल ब्राम्हण निवासी पनोतिया तह0 फूलियाकलां
9– लादू पिता सुखा ब्राम्हण निवासी पनोतिया तह0 फूलियाकलां
10–14 रामप्रसाद,तेजपाल,चेतनकुमार,चतुर्भुज,मु0बरदी पिता शंकर ब्राम्हण नि0 पनोतिया
15–17 भैरू, राधेश्याम, कैलाश पिता पन्ना ब्राम्हण निवासी पनोतिया तह0 फूलियाकलां
18–22 मांगीलाल,गोपाल,ओमप्रकाश,बालकिशन,रामजीवन पिता देबी ब्राम्हण नि0 पनोतिया

– प्रार्थीगण

बनाम

1–3 अशोक,गजेन्द्र,मु0कान्ता पिता नारायण ब्राम्हण नि0 पनोतिया
4– मु0 बेवा नारायण ब्राम्हण नि0 पनोतिया
5– मु0 आशा पिता खाना ब्राम्हण पत्नि कालू ब्राम्हण नि0 मण्डपिया रेल्वे स्टेशन
6– मु0 नोतरी पिता शंकर ब्राम्हण पत्नि मुरलीधर चास्टा नि0 अजमेरीगेट के पास मुरली वाच हाउस ब्यावर
7– रामलाल पिता चन्द्रा कुमावत नि0 पनोतिया
8– रामप्रसाद पिता गोकल ब्राम्हण नि0 पनोतिया
9– उगमालाल पिता चन्द्रा कुमावत नि0 पनोतिया
10– दुर्गालाल पिता जगन्नाथ ब्राम्हण नि0 पनोतिया
11– सत्यनारायण पिता कुन्दनमल ब्राम्हण नि0 पनोतिया
12– नाथूलाल पिता लाला बैरवा नि0 पनोतिया
13– महेन्द्र मुतबन्ना अमोलक चन्द जैन नि0 देवरिया
14– महावीर पिता कन्हैयालाल ब्राम्हण नि0 पनोतिया
15– तहसीलदार, फूलियाकलां

– विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा– 128 एल0आर0एक्ट

उपस्थित :– श्री राजेश वर्मा : अधिवक्ता प्रार्थीगण

निर्णय

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा– 128 एल0आर0एक्ट विरूद्व विपक्षीगण के प्रस्तुत किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है, ग्राम पनोतिया पटवार हल्का देवरिया तहसील फूलियाकलां मे प्रार्थीगण व विपक्षीगण

1 लगायत 6 के संयुक्त खातेदारी अधिकार की खाता संख्या 210 आ0न0 683, 690, 1131, 1146, 1147, 1148 रकबा क्रमशः 0.04 है0, 0.04 है0, 0.44 है0, 0.04 है0, 0.17 है0, 0.15 है0 कुल किता 06 रकबा 0.88 है0 स्थित है। पेरा नं0 1 मे वर्णित आराजीत की सीमाओं के पड़ोसी होने से विपक्षीगण नं0 7 लगायत 14 को आवश्यक पक्षकार होने से उनको पक्षकार बनाया गया है प्रार्थीगण की पैरा नं0 1 मे वर्णित आराजीयात के विपक्षीगण नं0 7 लगायत 14 पड़ोसी होने से आये दिन फसल काश्त करते समय व फसल काटते समय मौके पर विवाद करते है।अतः निवेदन है कि पैरा नं0 1 मे वर्णित आराजी की मुस्तकिल निशान से पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश बक्षाते हुए प्रार्थी की चारों सीमाओं पर मुस्तकिल निशान लगाये जाना का आदेश बक्षावे।

प्रकरण पंजीबद्व किया जाकर विपक्षीगणों को जरिये सम्मन तलब किया गया। दिनांक 17.03.2017 को विपक्षीगण 1 लगायत 6 के विरूद्व अभिभाषक प्रार्थीगण द्वारा कार्यवाही नही चाही गई है जिससे उनके विरूद्व कार्यवाही ड्रोप की जाती है। विपक्षीगण 7 लगायत 15 के सम्मन बाद तामील प्राप्त हो जाने पर भी दिनांक 06.04.2017 को उपस्थित नही होने से उनके विरूद्व एक तरफा कार्यवाही की जाकर बहस अभिभाषक प्रार्थीगण सुनी गई। बहस मे अभिभाषक प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यों एवं दस्तावेजात के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने हेतु निवेदन किया। बहस पर मनन एवं दस्तावेज का अवलोकन किया गया। जमाबन्दी ग्राम पनोतिया पटवार मण्डल देवरिया संवत 2070 से 73 खाता संख्या 210 कुल किता 6 रकबा 0.88 है0 का प्रार्थीगण व विपक्षीगण 1 लगायत 6 संयुक्त खातेदार काश्तकार दर्ज रेकार्ड है किन्तु उक्त आराजीयात मे आ0न0 683 रकबा 01.04 है0, 690 रकबा 0.04 है0, की किस्म गै0मु0 बाड़ा दर्ज रेकार्ड है जो प्रतिबन्धित है। अतः उक्त आराजी को छोड़कर शेष आराजीयात किता 4 रकबा 0.80 है0 की पत्थरगढ़ी के आदेश दिया जाना उचित समझता हूं :–

आदेश

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल0आर0एक्ट विरूद्व विपक्षीगण के आंशिक स्वीकार किया जाकर बाके ग्राम पनोतिया पटवार हल्का देवरिया तहसील फूलियाकलां मे प्रार्थीगण व विपक्षीगण 1 लगायत 6 के संयुक्त खातेदारी अधिकार की खाता संख्या 210 आ0न0 1131, 1146, 1147, 1148 रकबा क्रमशः 0.44 है0, 0.04 है0, 0.17 है0, 0.15 है0 कुल किता 06 रकबा 0.80 है0 प्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी की पत्थरगढ़ी अन्य किसी न्यायालय मे प्रकरण जैरकार होकर स्थगन आदेश आदि न हो तो पक्षकारान की मौजूदगी मे ऑफ सीजन मे पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु तहसीलदार फूलियाकलां को 300/– (अक्षरे तीन सौ रूपये मात्र) की कमीशन राशि पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीशन राशि मौके पर प्रार्थी से प्राप्त करे। निर्णय प्रति

पालनार्थ तहसीलदार फूलियाकलां को भेजी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

आदेश आज दिनांक 06.04.2017 को विवृत न्यायालय मे सुनाया गया।

(के0आर0 खौड़)
आर0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर, फूलियाकलां (भीलवाडा)

प्रतिलिपि :– तहसीलदार, फूलियाकलां पास भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान की मौजूदगी मे नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजावे।

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर, फूलियाकलां (भीलवाडा)

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर
फूलिया कलाँ, जिला–भीलवाड़ा